

इक्विटी मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

आरएफपी संदर्भ सं. रा.आ.बैंक/एमआरसीपीडी/आरएफपी- इक्विटी मूल्यांकन /2023

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के निवेश प्राप्तकर्ता संस्थान का इक्विटी मूल्यांकन

करने के लिए मर्चेन्ट बैंकर की नियुक्ति के लिए

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

बाजार अनुसंधान, परामर्श एवं नीति विभाग और कारपोरेट संचार प्रकोष्ठ

(एमआरसीपीडी और सीसीसी)

प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,

नई दिल्ली - 110 003

फोन: 011-39187127, 011-39187191

ईमेल: padmavathy.s@nhb.org.in; shruti.jain@nhb.org.in

इक्विटी मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली के प्रारंभ होने की तिथि	10-02-2023
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक (दिनांक और समय)	17-02-2023, समय बाद में सूचित किया जाएगा
3.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय	27-02-2023, शाम 06.00 बजे तक
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय	28-02-2023, समय बाद में सूचित किया जाएगा
5.	बयाना जमा राशि	₹ 25,000/-
6.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, बाजार अनुसंधान, परामर्श एवं नीति विभाग और कारपोरेट संचार प्रकोष्ठ (एमआरसीपीडी और सीसीसी) प्रधान कार्यालय, कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
7.	बोली प्रस्तुत करने का माध्यम	सरकारी ई-बाजार (जेम) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन

नोट: -

- तकनीकी बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल अथवा बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थल की सूचना किसी बाद की तारीख में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को दी जाएगी।

इक्विटी मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

2. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता में स्थित हैं। इसके क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थित हैं।

3. पृष्ठभूमि / प्रयोजन :

रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 14(एफ) के अनुसार, देश में आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देने और विकसित करने हेतु रा.आ.बैंक को दिए गए आदेश के अनुसार, रा.आ.बैंक आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) और अन्य संबंधित कंपनियों की इक्विटी शेयर पूंजी में भाग लेता है। वर्तमान में, रा.आ.बैंक चार संस्थानों की इक्विटी शेयर पूंजी में भागीदार है:

- i. सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (सीबीएचएफएल)
- ii. भारत में प्रतिभूतिकरण संपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (सरसई)
- iii. तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएनआईएफएमसी)
- iv. इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (आईएमजीसी)

4. उद्देश्य और कार्य क्षेत्र:

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

इक्विटी मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

5. वितरणयोग्य:

5.1 मर्चेट बैंक/वैल्यूअर को निम्न वितरित करना होगा:

- i. रा.आ.बैंक के साथ चर्चा की जाने वाली सभी धारणाओं, कार्यप्रणाली और परिदृश्यों को बताते हुए एक मसौदा मूल्यांकन रिपोर्ट।
- ii. रा.आ.बैंक की चर्चा और टिप्पणियों के बाद अंतिम विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट।
- iii. एक्सेल आधारित वैल्यूएशन मॉडल/वर्किंग
- iv. रा.आ.बैंक के प्रबंधन के लिए मूल्यांकन, कार्यप्रणाली और अंतर्निहित धारणाओं और परिणामों को न्यायसंगत हेतु प्रस्तुतिकरण।

6. अनुबंध की अवधि:

6.1

कोई भी अनुबंध जो इस आरएफपी के परिणामस्वरूप हो सकता है, कार्य आदेश/कार्य आबंटन पत्र की स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष (बारह माह) ("अवधि") की अवधि के लिए मान्य होगा।

नोट:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं हैं, या विशेष रूप से वर्णित हैं लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

7. बोलीदाताओं को निर्देश

7.1 सामान्य: -

- विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा और स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक पात्र मर्चेट बैंक/परामर्शदाता/बोलीदाता को सूचीबद्ध करने/चयन करने के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए दस्तावेज में विनिर्दिष्ट चयन मानदंडों को अपने पूर्ण विवेक से लागू कर सकता है। यह आरएफपी दस्तावेज किसी भी अनुबंध या व्यवस्था का हिस्सा होगा, जो इस दस्तावेज के जारी होने या किसी जांच या समीक्षा के परिणामस्वरूप हो सकता है।

इक्विटी मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

- प्रत्येक बोलीदाता को यह समझा जाएगा कि उसे, इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी और अस्वीकरण की शर्तों स्वीकार है।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

सुश्री पद्मावती एस सहायक महाप्रबंधक बाजार अनुसंधान, परामर्श और नीति विभाग और कारपोरेट संचार सेल (एमआरसीपीडी और सीसीसी) राष्ट्रीय आवास बैंक तीसरी मंजिल, कोर - V ए, भारत पर्यावास केंद्र लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003 ईमेल: Padmavathy.s@nhb.org.in	सुश्री श्रुति जैन प्रबंधक बाजार अनुसंधान, परामर्श और नीति विभाग और कारपोरेट संचार सेल (एमआरसीपीडी और सीसीसी) राष्ट्रीय आवास बैंक तीसरी मंजिल, कोर - V ए, भारत पर्यावास केंद्र लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003 ईमेल: shruti.jain@nhb.org.in
---	---

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच बोलियां जमा करने की समय सीमा से पूर्व ऊपर दिये गए संपर्क व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, केवल जेम के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।
- बोलीदाता को भारत में किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/भा.रि.बैंक द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।
- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

7.2 बोली पूर्व बैठक

इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी में स्पष्ट की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न, लिखित रूप में, उपरोक्त उल्लिखित पते पर दिनांक 15 फरवरी, 2023 को या उससे पहले ई-मेल या जेम पर अपलोड किए जाने चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

7.3 आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी

जेम पोर्टल पर निविदा/आरएफपी प्रकाशित की गयी है। आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

इक्विटी मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

7.4 निविदा/आरएफपी की गैर हस्तांतरणीयता

यह आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

7.5 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फॉर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ. बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.6 बोली/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
- आरएफपी में संशोधन जेम पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और रा.आ. बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर पोस्ट किया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
- रा.आ. बैंक किसी भी संवादाहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को स्क्रैप करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

7.8 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

7.9 बोली में शामिल दस्तावेज (कृपया प्रारूपों में अलग से निर्धारित निर्देशों का पालन करें, यदि कोई हो)

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

इक्विटी मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

7.10 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी। भारतीय रूपए के अलावा किसी अन्य मुद्रा में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.11 बयाना जमा-राशि (ईएमडी)

(क) सभी बोलियों के साथ **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि होनी चाहिए।

खातों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर 5ए, चौथी मंजिल, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर सं.	110002658

कृपया अन्य बिंदुओं के लिये अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

7.12 कार्यान्वयन अनुसूची

- बोलीदाता सेवाओं के वितरण हेतु जिम्मेदार होगा।

क्र.सं.	क्रय आदेश हेतु	वितरण अनुसूची (कार्य आदेश/कार्य आबंटन पत्र की स्वीकृति की तिथि से)
1.	मसौदा मूल्यांकन रिपोर्ट	15 दिन
2.	अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट	45 दिन

- आरएफपी के शर्तों के अनुसार एसएलए के निष्पादन के बाद ही बिलिंग चक्र प्रारंभ होगा।

7.13 कार्य निष्पदान बैंक गारंटी (पीबीजी)

सफल बोलीदाता को **अनुलग्नक-XVII** में निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में कुल वार्षिक लागत के 10% के समान लागत के कार्य निष्पादन बैंक गारंटी/पीबीजी को प्रदान करना होगा। पीबीजी अनुबंध अवधि की समाप्ति से कम से

इक्विटी मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

कम तीन माह बाद तक वैध होना चाहिए। सफल बोलीदाता द्वारा गैर-निष्पादन या आरएफपी नियम में चूक के जोखिम समेत श्रम कानून या कोई अन्य कानूनों/नियमों/विनियमों एवं प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अननुपालन के विरुद्ध रा.आ.बैंक के हित की रक्षा के लिए पीबीजी की आवश्यकता है। संविदा की शर्तों के सफल कार्यान्वयन में चूक पीबीजी के वारंट के आह्वान को वारंट कर सकता है, तथा यदि परामर्शदाता की किसी गतिविधि के कारण परिनिर्धारित हर्जाना/अर्थदंड लगाया जाता है तो रा.आ.बैंक प्रस्तुत बैंक गारंटी आह्वान करने का अधिकार रखता है। लागू सांविधिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन सहित गैर-निष्पादकता या आरएफपी शर्तों में त्रुटि पर रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा एवं सफल बोलीदाता पर बाध्य होगा।

7.14 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से छ माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति घोषणा/ईएमडी को भी बढ़ाया जाएगा।

7.15 बोली का प्रारूप

प्रत्येक बोली दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी:

- **भाग I:** न्यूनतम पात्रता मानदंड और तकनीकी बोली शामिल हैं। उपरोक्त कंटेंट को "तकनीकी प्रस्ताव" के रूप में उल्लिखित किया जाएगा।
- **भाग II :** "वाणिज्यिक प्रस्ताव" के रूप में उल्लिखित होने के बाद केवल वाणिज्यिक बोली कवर करेंगे।

7.16 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

- बोलियों को जेम पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए, बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद नहीं जैसा कि आरएफपी में इंगित किया गया है।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, जेम पोर्टल/रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचित करते हुए बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, रा.आ.बैंक और बोलीदाता के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व वृद्धित अंतिम तारीख तक पूर्ववत् रहेंगे।

7.17 विलंब से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त कोई भी बोली रद्द कर दी जाएगी।

7.18 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो विनिर्दिष्ट तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होंगे, खोली जाएगी,
- तकनीकी बोली खोलने के समय बोलीदाता का नाम और अपेक्षित ईएमडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति और रा.आ.बैंक के रूप में उपर्युक्त अन्य विवरण उचित माने जा सकते हैं।

इक्विटी मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

7.19 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स /ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.20 प्रारंभिक जांच

- रा.आ. बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बिड की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

7.21 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

7.22 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा समुदेशित कार्य को रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को केवल अपनी सेवा/समर्थन अवसंरचना के माध्यम से ही निपटाएगा।

7.23 कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न

- बोलीदाता को **अनुलग्नक IX** में उपलब्ध संरचना के अनुसार सख्ती से लागत मैट्रिक्स सपष्ट तौर पर प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार की अवहेलना होने पर बोली निरस्त कर दी जाएगी। वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई अन्य विकल्प कोट नहीं किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी विकल्प होंगे तो बोली निरस्त की जा सकती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव स्थिर कीमत आधार पर होगा। संविदा अवधि के दौरान सौंपे गए किसी कार्य के लिए कर रहित (वर्तमान एवं भविष्य) परामर्श की लागत से संबंधित किसी मूल्य परिवर्तन को वहन नहीं किया जाएगा।
- सांविधिक संशोधन के अनुसार केवल जीएसटी का भुगतान किया जाएगा।
- परियोजना कार्यान्वयन तिथि आदेश पत्र की स्वीकृति तिथि (प्रारंभिक तिथि) या रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य तिथि होगी। यदि लागू हो तो सहायता सेवाओं आदि के नवीकरण हेतु उक्त तिथि पर ही विचार किया जाएगा।

7.24 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

इस परियोजना के तहत सभी अपेक्षित सहायता प्रदान करने हेतु सलाहकार के पास उचित और पर्याप्त सहायक तंत्र होना चाहिए।

7.25 मैनुअल/दस्तावेज

सलाहकार अनुबंध की अवधि के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं के लिए पूर्ण तकनीकी और अन्य दस्तावेज प्रदान करेगा। सभी

इक्विटी मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और आपूर्ति की गई सेवाओं का स्पष्ट रूप से संकेत होना चाहिए।

7.26 बोली मूल्यांकन

कृपया अंग्रेजी विषय-वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

7.27 संशोधन एवं आहरण

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

7.28 कीमतों का प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

7.29 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें आरएफपी के इस आमंत्रण पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं है तो वे खंड अनुलग्नक-IV के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शाएँ कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

7.30 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

7.31 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

इक्विटी मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

7.32 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि वेंडर ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। वेंडर के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियोजना में वेंडर की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

7.33 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

7.34 कानूनों का अनुपालन

- 1) सलाहकार/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएंके बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।
- 2) सलाहकार ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे बैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक लेखा परीक्षा फर्म को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।
- 3) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत लेखा परीक्षा फर्म के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7.35 बौद्धिक संपदा अधिकार

बोलीदाता वारंट देता है कि सलाहकार के रूप में इसके चयन की स्थिति निम्नलिखित हैं:

- 1) इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट, किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।
- 2) यह आगे की गारंटी देता है कि वितरित किसी भी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों, कॉपीराइट, पेटेंट और किसी भी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित, का उल्लंघन नहीं करेगा।

इक्विटी मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

- 3) ऐसी स्थिति में जब प्रदेय तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के दावे का विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा और व्यय पर: (क) ऐसे प्रदेय का उपयोग जारी रखने हेतु रा.आ.बैंक के लिए खरीद का अधिकार; (ख) ऐसे प्रदेय को बदलने या संशोधित करने के लिए उन्हें गैर- उल्लंघनकारी बनाकर प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि समान कार्य प्रतिस्थापन या संशोधित प्रदेय द्वारा उल्लंघनकारी प्रदेय के रूप में किया जाता है; अथवा (ग) यदि उपयोग करने का अधिकार खरीद नहीं हो सकता या प्रदेय को प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जा सकता तो प्रदेय की विवरणी को स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे प्रदेय के लिए बोलीदाता को दी गई किसी भी राशि के लिए साथ ही रा.आ. बैंक द्वारा लगाए गए दंड के अतिरिक्त समान उपकरणों की खरीद के लिए रा.आ. बैंक द्वारा किए गए प्रतिस्थापन लागत रा.आ. बैंक को प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तथापि, इस संबंध में रा.आ. बैंक किसी भी तरह के व्यय, प्रभार, शुल्क या किसी प्रकार की लागतों को नहीं उठाएगा। मौजूदा उपायों के बावजूद, बोलीदाता प्रस्तावित समाधान का उपयोग करने के लिए रा.आ. बैंक की असमर्थता के कारण यदि सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है तो दंड के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।
- 4) बोलीदाता स्वीकार करता है कि व्यापार तर्क, कार्य प्रवाह, प्रतिनिधिमंडल और रा.आ. बैंक के निर्णय लेने की प्रक्रिया और समर्पण संवेदनशील व्यापार प्रकृति के हैं और इसलिए इसे अन्य ग्राहकों, एजेंट या सॉफ्टवेयर के वितरकों को नहीं भेजा जाएगा। यदि परियोजना के क्षेत्र में वर्णित परियोजना के वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाता है और यदि आरएफपी में उल्लिखित की गई विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रणाली प्रक्रियाओं को सुधारने में असमर्थ है, तो इस परियोजना को अपूर्ण माना जाएगा।

7.36 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदिनिविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

1. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
2. यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने विवेक पर पीबीजी के आह्वान सहित संविदा को समाप्त करने हेतु आरएफपी में प्रदान की गई यथोचित कार्रवाई कर सकता है।

7.37 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ((डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।

यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।

- बोलीदाता को अनुलग्नक XVIII में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

क) बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित

इक्विटी मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

ख) इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ: -

- (i) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या
- (ii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या
- (iii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या
- (iv) संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या
- (v) संस्था का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
- (vi) साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या
- (vii) सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

ग) उपर्युक्त (ii) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;

iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;

v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी और कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

घ. एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

8. वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना/समनुदेशन की निम्नलिखित वाणिज्यिक निबंधन व शर्तों पर ध्यान दें।

8.1 कीमत

- (क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
- (ख) कीमत एक वर्षों की पूरी अनुबंध की अवधि के लिए वैध एवं दृढ़ होनी चाहिए।
- (ग) वाणिज्यिक बोली के अनुसार कीमत में जीएसटी, शुल्क, लेवी शुल्क, परिवहन, बीमा सहित सभी कर शामिल होने चाहिए।

इक्विटी मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

- (घ) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत बोलीदाता के अनुबंध के कार्य-निष्पादन के दौरान यानी एक वर्ष की अवधि के लिए स्थिर रहेगी।
- (ङ) समायोज्य कीमत युक्त कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को अनुत्तरदायी समझा जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8.2 भुगतान की शर्तें

पीबीजी प्रस्तुत करने और एसएलए पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई भुगतान जारी किया जाएगा

बैंक आरएफपी में उद्धृत सहमत शुल्क का भुगतान चयनित बोलीदाता को स्रोत पर लागू करों की कटौती के बाद, रा.आ.बैंक की संतुष्टि के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट को पूरा एवं प्रस्तुत करने पर जारी करेगा। बोलीदाता को कोई आंशिक भुगतान/अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। अनुबंध की समाप्ति के मामले में भुगतान: आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि अनुबंध समाप्त कर दिया गया है, तो लागू टीडीएस/अन्य करों की कटौती के बाद सेवाओं के लिए आनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

8.3 अनुबंध की समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है तो सेवाओं के लिए भुगतान लागू दंड एवं टीडीएस/अन्य कर काटने के पश्चात आपूर्तित सेवाओं की अवधि के लिए समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।

अन्य अनुबंधों हेतु निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What's New

कृपया नोट करें – अंग्रेजी आरएफपी संस्करण राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in में What's New हेड पर उपलब्ध है।

***किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी मूलपाठ मान्य होगा।**

XXXX